दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	आज दिनांक 21/8/24 को पत्रावली पेश हुई पी.ओ.एस. प्रकाश/अन्य राजकार्य पर/कंडोनेशन है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 03/9/24 को पेश हो।	
03/09/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/प्रतिवादी सरकार 58, 61, 69, 73, 66, 72, 89, 60, 62, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 58, 73, 72, 65, 69, 61, 60, 62, 13, 141 [illegible] आदेश दिनांक 5/4/24 के अनुसार वकील वादी एवं प्रतिवादीगणों पर सम्मन के लिए राशि 500 तामील वारण्टी जारी की। परन्तु सम्मन (03 माह) व्यतीत होने के उपरान्त भी वादी द्वारा प्रतिवादीगणों के सम्मन के लिए राशि 500 तामील पेश नहीं की गयी। बावजूद इसके वादी राशि तामील हेतु एक अवसर देने में विफल रहा है। अतः वकील वादी व्यवहार अधिनियम 09 नियम 02 CPC के तहत पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम होकर फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम